

न्यायालय-सत्र न्यायाधीश,सहारनपुर।

दण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या-236 सन् 2026

C.N.R. Number:-UPSP010027382026

राज्य बनाम इरफान	धारा-344 दं०प्र०सं०	थाना-गंगोह जनपद-सहारनपुर
सम्बन्धित सत्र वाद संख्या-373/2019 राज्य बनाम सारिक आदि।		

आदेश

अभियुक्त **इरफान** की संस्वीकृति के आधार पर उसको अर्न्तगत धारा 344 दं०प्र०सं० में दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त **इरफान** को धारा 344 दं०प्र०सं० के अर्न्तगत मु०- **500/-**(पांच सौ रुपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में वह सात दिन का साधारण कारावास भुगतेगा।

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।